आज़ादी का अमृत महोत्सव

भारत सरकार Government of India
रेल मंत्रालय Ministry of Railways
रेलवे बोर्ड (Railway Board)

RBA No.36/ 2023

No. 2023/ACII/25/7/e 3448622

New Delhi, dated :24.11.2023

General Managers
All Zonal Railways and PUs etc.

Sub: Salary Bill- Strengthening of Internal checking mechanism.

Attention is invited to Board's letter no.2023/ACII/25/5/e3441856 dated 22.09.2023 (RBA No. 29/2023) , it is reiterated that IPAS has comprehensive validations / MIS Reports which should be accessed by Personnel and Accounts Department on regular intervals for proper monitoring and to prevent frauds in salary Bills in future. Further, the codal provisions with regard to check of Establishment Charges and also Board's instructions issued from time to time regarding passing of establishment bills to be strictly followed.

Kindly acknowledge receipt.

24/11/23

(Ajay Bartwal)
Jt. Director Finance (CCA)
Railway Board
Ph.No. 011-23047018
E mail ID: ajay.bartwal@gov.in

भारत सरकार Government of india
रेल मंत्रालय Ministry of Railways
(रेलवे बोर्ड Railway Board)

आरबीए सं. 36/2023

सं. 2023/एसीII/25/7/ई3448622 नई दिल्ली, दिनांक 24.11.2023

महाप्रबंधक
सभी क्षेत्रीय रेलें तथा उत्पादन इकाइयां आदि।

विषय: वेतन बिल - आंतरिक जाँच तंत्र का सुदृढ़ीकरण ।

आपका ध्यान बोर्ड के दिनांक 22.09.2023 के पत्र सं. 2023/एसीII/25/5/ई3441856 (आरबीए सं. 29/2023) की ओर आकृष्ट किया जाता है, यह दोहराया जाता है कि आईपीएएस में व्यापक सत्यापन/एमआईएस रिपोर्टें हैं, जिनका उपयुक्त निगरानी करने और भविष्य में वेतन बिलों में जालसाजी की रोकथाम के लिए कार्मिक और लेखा विभाग द्वारा नियमित अंतराल पर एक्सेस किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, स्थापना प्रभारों की जांच के संबंध में संहितागत प्रावधानों तथा इसके साथ ही, स्थापना बिलों को पास करने संबंधी बोर्ड द्वारा समय-समय पर जारी किए जाने वाले अनुदेशों का कड़ाईपूर्वक अनुपालन किया जाए।

कृपया पावती दें।

ह.

(अजय बर्तवाल)
संयुक्त निदेशक वित्त (सीसीए)
रेलवे बोर्ड
फोन नं. 011-23047018
ईमेल आईडी: ajay.bartwal@gov.in